**हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, बी0 जी0 आर0 परिसर, पौड़ी (गढ़वाल)**
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
**HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY, BGR CAMPUS PAURI (GARHWAL)**
(A Central University)

**प्रो0 पीयूष सिन्हा**
मुख्य चुनाव अधिकारी

**दूरभाष : 9412909371**
Email - piyushs03@gmail.com

---

पत्रांक : बी0जी0आर0 परिसर पौड़ी/ छात्र संघ चुनाव/2026/01

दिनांक : 29.08.2026

**छात्र संघ चुनाव : 2026-27**
**बी0 जी0 आर0 परिसर, पौड़ी**

**अधिसूचना**

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, बी0 जी0 आर0 परिसर, पौड़ी के समस्त छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 के लिए छात्र संघ निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :

| | पदों के नाम | संख्या |
|---|---|---|
| (क) | अध्यक्ष | 01 |
| (ख) | उपाध्यक्ष | 01 |
| (ग) | सचिव | 01 |
| (घ) | सह सचिव | 01 |
| (ङ) | कोषाध्यक्ष | 01 |
| (च) | कार्यकारिणी सदस्य | 6+1* |
| (छ) | विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि (यू0आर0) | 01 |

*छात्राओं के लिए आरक्षित

**कार्यक्रम**

| क्र0सं0 | विवरण | दिनांक एवं समय |
|---|---|---|
| 1. | नामांकन तिथि | 02.09.2026 पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक<br>03.09.2026 पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक |
| 2. | नामांकन पत्रों की जांच | 03.09.2026 अपराह्न 2:30 बजे के उपरान्त |
| 3. | वैध प्रत्याशियों के नामों की घोषणा | 05.09.2026 मध्याह्न 12:00 बजे (04-09-2026 को सा० अवकाश) |
| 4. | नामांकन वापसी की तिथि | 05.09.2026 मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक |
| 5. | प्रत्याशियों के नामों की अन्तिम सूची की घोषणा | 05.09.2026 को अपराह्न 03:00 बजे के पश्चात् |
| 6. | मतदान | 11.09.2026 प्रातः 8:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक |
| 7. | मतगणना | 11.09.2026 अपराह्न 1:30 बजे से प्रारम्भ |
| 8. | चुनाव परिणामों की घोषणा | 11.09.2026 मतगणना पूर्ण होने के तत्काल बाद |
| 9. | छात्र संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण | 11.09.2026 चुनाव परिणाम घोषणा के तत्काल बाद<br>(कला संकाय भवन प्रांगण में) |

**निर्देश :-**

1. नामांकन पत्र प्रशासनिक भवन के उप अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय (कक्ष संख्या 02) से दिनांक 31.08.2026 से 03.09.2026 को पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 2:00 बजे तक नामांकन पत्र का मूल्य रु0 100.00 अदा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। छात्र संघ के प्रत्येक पद हेतु नामांकन शुल्क रु0 1000.00 (रु0 एक हजार) निर्धारित है, जिसे नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करना अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र पर परिसर निदेशक एवं मुख्य चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील होना अनिवार्य है। नामांकन पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में प्राप्त किया जा सकता है।
2. नामांकन पत्र दिनांक 02.09.2026 एवं 03.09.2026 को चुनाव अधिकारी नामांकन कार्यालय, भौतिक विज्ञान विभाग, पी0जी0 ब्लॉक (विज्ञान संकाय) में प्रातः 10:30 से सायं 2:30 बजे तक दाखिल किये जा सकते हैं।
3. प्रत्याशी तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक छात्रों का इस परिसर का नियमित/संस्थागत छात्र/छात्रा होना आवश्यक है। इसके प्रमाण के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक व अनुमोदक स्वयं उपस्थित होकर अपनी मूल शुल्क रसीद एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र अपने साथ अवश्य लायें।
4. छात्रसंघ के समस्त पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने हेतु स्नातक स्तर पर आयु सीमा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 22 वर्ष होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी। केवल व्यावसायिक संस्थानों, जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि 5 वर्ष की है, में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट होगी। आयु निर्धारण की तिथि 01.07.2026 होगी।
5. चुनाव वर्ष 2026-27 में प्रत्याशी का कोई भी अकादमिक ऐरियर (बैक) आदि लम्बित नहीं होना चाहिए।
6. छात्र संघ कार्यकारिणी के सदस्य किसी भी संकाय के हो सकते हैं तथा प्रत्येक प्रतिनिधि हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक किसी भी संकाय का संस्थागत छात्र/छात्रा हो सकता/सकती है।
7. एक प्रत्याशी मात्र एक पद के लिए ही उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकता है। सम्पूर्ण शिक्षणकाल की अवधि में छात्रसंघ पदों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिए मात्र एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य एवं विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि (यू0आर0) के लिए मात्र दो बार चुनाव लड़ सकता है।
8. एक छात्र/छात्रा किसी भी पद हेतु एक ही प्रत्याशी का प्रस्ताव अथवा अनुमोदन कर सकेगा। अन्यथा की स्थिति में नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्रत्याशियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक प्रथम वर्ष से लेकर सभी कक्षाओं की अंकतालिकायें एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र) मूल रूप में दिखाना होगा एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियां नामांकन पत्रों के साथ संलग्न करनी होंगी। गैप वर्षों के लिए स्टॉम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि गैप वर्षों में प्रत्याशी ने क्या किया? एवं यह भी घोषणा करनी होगी कि उक्त अवधि में वह किसी अवांछनीय कार्यों में संलिप्त नहीं रहा/रही है।
10. मतदान स्थल पर मतदाता की पहचान, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र तथा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न नियंता प्रपत्र से सुनिश्चित की जायेगी, आवश्यकता पड़ने पर आधार कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में मांगा जा सकता है।
11. छात्र संघ चुनाव 2026-27 की अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय परिसर में चुनाव आचार संहिता (लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार) तथा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में धारा 144 दं0प्र0सं0) लागू रहेगी।
12. परिसर/विश्वविद्यालय/न्यायालय द्वारा विधिक रूप से दंडित छात्र/छात्रा, छात्र संघ के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा/सकेगी। उक्त सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र रु0 10.00 के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर देना होगा।
13. नियमों के उल्लंघन करने, अपूर्ण नामांकन पत्र जमा करने या पूर्ण सूचना न देने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होने पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रत्याशी स्वयं पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
14. छात्र संघ निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक/अनुमोदक व समर्थक तथा मतदाता सभी इसी परिसर के सत्र 2026-27 के संस्थागत/नियमित छात्र/छात्रा होंगे। प्रत्याशी को शपथ पत्र पर स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें सत्य हैं और किसी भी प्रविष्टि के असत्य पाये जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही उसका नामांकन/निर्वाचन अवैध घोषित किया जायेगा।
15. निर्वाचित छात्र संघ का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2026-27 होगा।
16. प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रचार में रु0 5000.00 (रु0 पांच हजार) से अधिक की धनराशि व्यय करने का अधिकार नहीं होगा। इससे अधिक धन व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द किया जायेगा।

17. प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अंदर सम्पूर्ण चुनाव खर्चे का प्रमाणित लेखा-जोखा, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
18. प्रत्याशी ने प्रवेश तिथि/अध्यापन प्रारम्भ होने की तिथि जो भी बाद में हो, से अपनी समस्त कक्षाओं में पृथक-पृथक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति दी हो। उपस्थिति प्रमाण पत्र सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किये जायेंगे।
19. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संघ गठन सम्बन्धी नियमों के अधीन सम्पन्न की जायेगी।
20. छात्र संघ निर्वाचन के पश्चात् यदि किसी भी पद के लिए दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत मिलते हैं तो उस स्थिति में लॉटरी (ड्रॉ) प्रक्रिया अपना कर विजेता घोषित किया जायेगा।

29/8/2026

(प्रो0 यू0सी0 गैरोला)
परिसर निदेशक

29.08.26

(प्रो0 पीयूष सिन्हा)
मुख्य चुनाव अधिकारी
छात्र संघ चुनाव 2026-27

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ :-</u>

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य चुनाव अधिकारी, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, बिड़ला परिसर, श्रीनगर (गढ़वाल)।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
4. कुलसचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
5. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।
6. जिलाधिकारी, पौड़ी (गढ़वाल)।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी (गढ़वाल)।
8. थानाध्यक्ष, थाना पौड़ी (गढ़वाल)।
9. उप अधिष्ठाता छात्र कल्याण/उपमुख्य नियंता, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, परिसर पौड़ी।
10. सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. संपादक/संवाददाता – अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, सहारा एवं अन्य स्थानीय समाचार पत्र।
12. परिसर सूचना पट छात्र/छात्राओं के सूचनार्थ।

29/8/2026

(प्रो0 यू0सी0 गैरोला)
परिसर निदेशक

29.08.26

(प्रो0 पीयूष सिन्हा)
मुख्य चुनाव अधिकारी
छात्र संघ चुनाव 2026-27